

# बिग बॉस की 'पगड़ी' अदालत में पहुँची

टीवी सीरियल बिगबॉस सिक्स के एक एपिसोड में महिला कलाकारों को सिख पगड़ी पहनाकर दिखाने के मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई के दौरान इन्दौर की एक अदालत ने परिवादी की ओर से पेश सीडी देखी। न्यायालय ने आदेश के लिए 22 मार्च की तारीख तय की है। परिवादी की ओर से पूर्व में शपथ पत्र के साथ सीडी का हिन्दी वर्जन कोर्ट के समक्ष पेश किया जा चुका है। कोर्ट में परिवादी की ओर से सीडी देखने का अनुरोध किया गया था। बिग बॉस सिक्स में दिखाए गए एपिसोड में सिखों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के मामले में चल रहे परिवाद में परिवादी गगनदीपसिंह भाटिया की ओर से दायर परिवाद पर कोर्ट ने सीडी देखी, कोर्ट ने आदेश के लिए 22 मार्च तय की है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वैभव विकास शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

पांच सिख महिलाएं और तीन सिख पुरुष बतौर गवाह जिनकी सूची बतौर गवाह पेश की थी, परिवाद में महिलाओं सहित अन्य की गवाही हो चुकी है, सिखों की पगड़ी का मजाक बनाने के मामले में आठ गवाहों की सूची तैयार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की थी जिनमें से करीब-करीब सब की ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सबूत के तौर पर सीजन-सिक्स के एपिसोड की सीडी भी अदालत देख चुकी है।

अक्टूबर 2012 के शो में पूर्व क्रिकेटर नवजोतसिंह सिधू ने महिला कलाकारों को पगड़ियां पहनाकर घुमाया था। इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, अजय देवगण, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा इन सभी को पक्षकार बनाया गया। पूर्व में निचली अदालत से परिवादी गगनदीपसिंह भाटिया का परिवाद खारिज होने के बाद इसे सेशन अदालत में पेश किया गया था, उन्होंने निचली अदालत को फिर से केस की सुनवाई करने को कहा है।